भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3606

जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है

हाई-टेक इंटरसेप्टरों की खरीद

3606. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनियंत्रित गति पर नजर रखने के लिए हाई-टेक इंटरसेप्टर खरीदने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) सुविधा से ई-चालान जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) मंत्रालय ने मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 136क के तहत प्रावधान के अनुसार सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए अधिसूचना सा.का.नि.575(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2021 जारी की है। इस नियम में 'इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों' का तात्पर्य (स्पीड कैमरा, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर), वेट इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी किसी अन्य तकनीक) हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आता है।

तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा वर्तमान में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) अधिक सघनता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रांस हरियाणा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आदि जैसे एक्सप्रेसवे पर लगाए गए गए हैं। एटीएमएस में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रर्वतन उपकरणों के प्रावधान किए गए हैं, जिनसे राजमार्ग खंडों पर घटनाओं की त्वरित पहचान करने और राजमार्गों की प्रभावी निगरानी करने में मदद मिलती है, जिससे घटना-स्थल पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

*****